

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमांक प.1(33)चिस्वा/2/94/पार्ट-5

जयपुर, दिनांक : 2010.2010

आ दे श

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.03.2010 की निरन्तरता में समेकित वेतन पर कार्यरत 71 चिकित्सकों एवं अनुबन्ध पर कार्यरत 55 चिकित्सकों कुल 126 चिकित्सकों की अनुबन्ध सेवा अवधि दिनांक 30.09.2010 को समाप्त होने के पश्चात अनुबन्ध सेवा अवधि नवीन अनुबन्ध करने की शर्त पर दिनांक 31.03.2011 तक इस शर्त के साथ बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि विभाग में प्रक्रियाधीन 540 चिकित्सा अधिकारियों के पदों की भर्ती के पश्चात इन चिकित्सकों को स्वतः ही सेवा से हटा दिया जावेगा।

ये आदेश वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.संख्या 131000976 दिनांक 18.10.2010 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

६०।-

(आर. सी. टेनवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 6- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 7- निदेशक, (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
- 8- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन राजस्थान
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 10- समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान
- 11- रिक्षित पत्रावली

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।

कमांक:- संस्था/चि0अ0/एटी/प.8/10/1358

दिनांक:- 27/10/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज संबंधित।
- 2) समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन राजस्थान।
- 3) समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को भेजकर लेख है कि वर्ष 2009 से पूर्व जिला स्तर पर समेकित/अनुबंध आधार पर नियुक्त चिकित्सक जो वर्तमान में आपके अधीन कार्यरत हैं जिनकी सेवा अवधि दिनांक 30/09/10 को समाप्त होने के पश्चात अनुबंध सेवा अवधि नवीन अनुबंध करने की शर्त पर दिनांक 31/03/2011 तक इस शर्त के साथ बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि विभाग में आयोग से चयनित चिकित्सा अधिकारियों के पदों की भर्ती के पश्चात इन चिकित्सकों को स्वतः ही हटा दिया जावेगा उक्त कार्यरत चिकित्सकों की सूचना अविलम्ब निम्नहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने की व्यवस्था करें।
- 4) आदेश/निजी पत्रावली। / (प्रम.प.1) दिनांक 27/10/2010

अतिनिदेशक(राजपत्रित)